

**समाहरणालय, मुंगेर।**  
**(जिला निर्वाचन शाखा)**

**आदेश**

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक: बी0-112-102(0001)/2011-94/आ0 दिनांक: 27.02.2012 के द्वारा शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी-0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त आवंटन को निम्न निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मुंगेर जिला को कॉलम 4, 7, 10, 13 एवं 16 में अंकित राशि उपावटित की जाती है।

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	वेतन 0101			जी0 या0 भत्ता 0103		
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	656812.00	200898.00	857710.00	333598.00	111186.00	444784.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	193502.00	55000.00	248502.00	98271.00	38000.00	136271.00
योग =		850314.00	255898.00	1106212.00	431869.00	149186.00	581055.00

क्र 0	पदाधिकारी का पदनाम	मकान किराया भत्ता 0104			चिकित्सा भत्ता 0106			अन्य भत्ता 0107		
		पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित	पूर्व में आवंटित	वर्तमान में आवंटित	कुल आवंटित
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर	20865.00	6045.00	26910.00	7200.00	2400.00	9600.00	150.00	970.00	1120.00
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर	19262.00	6000.00	25262.00	2223.00	600.00	2823.00	0.00	0.00	0.00
योग =		40127.00	12045.00	52172.00	9423.00	3000.00	12423.00	150.00	970.00	1120.00

- उप आवंटित राशि का व्यय शीर्ष 2015-निर्वाचन-102 निर्वाचन अधिकारी-0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना के वेतन मद अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।
- उपावटित राशि मांग संख्या-06 के अन्तर्गत है एवं इसका विपत्र कोड- एन 2015001020001 है।
- यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक: एम-4-05/98/2561वि0(2) दिनांक:17.04.1998 एवं पत्रांक 3388 वि0(2) दिनांक: 18.04.2011 के आलोक में आवंटित है।
- वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक: 599/वि0(2) दिनांक: 07.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में वेतन एवं उनके देय भत्ते को विषय शीर्ष- 01 01 से 01 07 तक में माना गया है। अगर किसी उपशीर्ष की किसी विषय शीर्ष/मद का प्रावधान नहीं कराया जा सका है, अथवा कम प्रावधान कराया गया है तो उक्त भत्ते के लिये बजट में प्रावधानित वेतन मद की राशि अथवा वेतन का ऐसा अन्य विषय शीर्ष जिसमें अधिक राशि का प्रावधान है, में से घटाते हुए वैसा विषय शीर्ष जहाँ राशि की आवश्यकता है, में राशि कर्णांकित की जानी है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्रों को कोषागार में प्रेषित करने के पूर्व आवश्यकतानुसार वेतन एवं उनके भत्तों के लिये अलग-अलग विषय शीर्ष में राशि को कर्णांकित करने के पश्चात् विपत्र में आवश्यक उल्लेख कर लिया जाये।
- वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय से संबंधित निर्गत अनुदेशों तथा बिहार कोषागार संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली के विभिन्न प्रावधानों के अधीन ही इस उपावटित राशि का व्यय किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
- इस राशि से विगत के वर्षों के किसी भी बकाया भुगतान (षष्टम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय किस्त को छोड़कर) का भुगतान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। इसे सुनिश्चित करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

9. नियमानुसार श्रोत पर आयकर की कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी। आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
10. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के वेतन का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 तक विभाग द्वारा आवंटित राशि के विरुद्ध बैंक में जमा/नकद रुप में जमा सम्पूर्ण राशि को संबंधित जमा शीर्ष में कोषागार में ए0सी0 विपत्रवार जमा कर दिया गया है या ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि से संबंधित सभी डी0सी0 विपत्र नियमानुसार कार्रवाई करते हुए महालेखाकार (ले0 एवं हक) बिहार के कार्यालय को समर्पित कर दिया गया है तथा जिला को प्राप्त आवंटन के विरुद्ध अद्यतन मासिक/त्रैमासिक प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है।
11. इस उपावंटन आदेश के सभी पृष्ठ अघोहस्ताक्षरी के द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

- ज्ञापांक: ...../नि0, दिनांक: .....
- प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

ह0/-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।

- ज्ञापांक: 111 ...../नि0, दिनांक: 29-2-12
- प्रतिलिपि: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार -सह- सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग बिहार की सेवा में उनके पत्रांक 94/आ0 दिनांक 27.02.2012 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

308  
29/02/12  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, मुंगेर।